सं.8/3/6(1)/2024-हिं.
भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
*****

अंतरिक्ष भवन/Antariksh Bhawan
न्यू बी.ई.एल. रोड/New BEL Road
बेंगलूरु/Bengaluru – 560094

दिनांक/Date: 28 जनवरी/January 2025

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषयः **दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना – संशोधन के बारे में।**
Sub: **Hindi Incentive Scheme for Students of Class X & XII - Modification – reg.**

***

कृपया उपर्युक्त विषय पर विभाग के दिनांक 11.07.2022 के कार्यालय आदेश (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें। केंद्रों/यूनिटों से उक्त योजना में अंतरराष्ट्रीय बोर्ड को भी शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात इस योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

Please refer to Office Order of the Department, dated 11.07.2022 (copy attached) on the above subject. The said scheme is hereby modified as below with the approval of Competent Authority on the proposal received from Centers/Units to include International Board (IB) in the scheme:

बोर्ड / Board	कक्षा/Class-X	कक्षा/Class-XII	योग/Total
राज्य बोर्ड State Board	1st पुरस्कार/Prize - ₹1,500/- 2nd पुरस्कार/Prize - ₹1,000/- 3rd पुरस्कार/Prize - ₹ 500/-	1st पुरस्कार/Prize - ₹1,500/- 2nd पुरस्कार/Prize - ₹1,000/- 3rd पुरस्कार/Prize - ₹ 500/-	₹ 6,000/-
सी.बी.एस.ई. बोर्ड CBSE Board	1st पुरस्कार/Prize - ₹1,500/- 2nd पुरस्कार/Prize - ₹1,000/- 3rd पुरस्कार/Prize - ₹ 500/-	1st पुरस्कार/Prize - ₹1,500/- 2nd पुरस्कार/Prize - ₹1,000/- 3rd पुरस्कार/Prize - ₹ 500/-	₹ 6,000/-
आई.सी.एस.ई. बोर्ड ICSE Board	1st पुरस्कार/Prize - ₹1,500/- 2nd पुरस्कार/Prize - ₹1,000/- 3rd पुरस्कार/Prize - ₹ 500/-	1st पुरस्कार/Prize - ₹1,500/- 2nd पुरस्कार/Prize - ₹1,000/- 3rd पुरस्कार/Prize - ₹ 500/-	₹ 6,000/-
अंतरराष्ट्रीय बोर्ड International Board	1st पुरस्कार/Prize - ₹1,500/- 2nd पुरस्कार/Prize - ₹1,000/- 3rd पुरस्कार/Prize - ₹ 500/-	1st पुरस्कार/Prize - ₹1,500/- 2nd पुरस्कार/Prize - ₹1,000/- 3rd पुरस्कार/Prize - ₹ 500/-	₹ 6,000/-
कुल राशि / Total Amount			**₹ 24,000/-**

2. सभी विजेताओं के लिए चयन प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी।
The selection process for the winners remain same.

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

28/1

(एम.जी. सोम शेखरन नायर/M G Som Shekharan Nair)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)/Joint Director (OL)

संलग्नक/Encl: यथोपरि/As above

सेवामें/To,

1. सभी केंद्र/यूनिटों के निदेशक/नियंत्रक/प्रशासनिक प्रधान
Director/Controller/Administrative Head of all Centres/Units

2. सभी केंद्रों//यूनिटों के उप/सहायक निदेशक (रा.भा.)/वरि./प्रशासनिक अधिकारी
Deputy/Assistant Director (OL) / Sr./Administrative Officer of all Centres/Units

प्रतिलिपि सूचनार्थ / Copy for Information:
अपर सचिव, अं.वि. / Additional Secretary, DOS

संलग्नक / Annexure

सं./No. 8/3/6/2022-हिं

भारत सरकार/Government of India

अंतरिक्ष विभाग/Department of Space

11 जुलाई/July, 2022

कार्यालय आदेश/Office Order

विषय: दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना - संशोधन के बारे में।
Sub: Hindi Incentive Scheme for students of class X and XII: modification – reg.

कृपया उपरोक्त विषय पर विभाग के दिनांक 10.08.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 8/3/14/2012 (वा.II) का संदर्भ लें (प्रति संलग्न)।

Kindly refer to Office Memorandum No. 8/3/14/2012 (Vol.II) dated 10.08.2012 of the department on the above subject (copy enclosed).

2. उपरोक्त विषय पर दिनांक 30.03.2022 को अंतरिक्ष भवन में संपन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 130वीं बैठक के दौरान समिति की विस्तृत चर्चा और अध्यक्ष, राकास/अपर सचिव, अं.वि. के अनुमोदन के पश्चात, उक्त प्रोत्साहन योजना को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

After detailed discussion on the above subject and subsequent approval of Chairman OLIC and Additional Secretary, DOS during the 130th meeting of OLIC held on 30.03.2022 in Antariksh Bhavan, the said Incentive Scheme is modified in the following way:-

"प्रत्येक बोर्ड अर्थात् राज्य बोर्ड, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. के लिए अलग-अलग रूप से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे तथा पुरस्कारों की संख्या में उसी अनुसार बढ़ोत्तरी की जाएगी और दो या अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड या प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पुरस्कारों की संख्या केंद्र निदेशक के अनुमोदन से तय की जाएगी"। पुरस्कार राशि उक्त का.ज्ञा. के अनुसार ही रहेगी।

"First, second and third prizes will be awarded separately for each board of education namely State Board, CBSE and ICSE and the number of prizes will be increased accordingly; and incase the grade or obtained marks of two or more students is same, the number of prizes will be determined after the approval of Centre Director". The sum of the prizes will be as per the said OM.

3. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

11/07/2022

(एम.जी. सोम शेखरन नायर/M.G. Som Shekharan Nair)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)/Joint Director (O.L.)

सेवा में/To,

(क) विभागीय राभाकास के सभी सदस्य
All members of DOLIC

(ख) अं.वि./इसरो के केंद्रों/यूनिटों के सभी उप/सहायक निदेशक
All DD/AD (OL) of DOS/ISRO Units

(ग) अं.वि./इसरो के सभी कार्यक्रम कार्यालय / अनुभाग
All Programme Offices/Sections of DOS/ISRO

प्रतिलिपि/Copy to:

अं.वि./इसरो की राभाकास के सभी सदस्य
All members of OLIC of DOS/ISRO

प्रतिलिपि सूचनार्थ/Cfi:

अपर सचिव, अं.वि./Additional Secretary, DOS

सालग्नक

सं.8/3/14/2012 (वा.II)

भारत सरकार

अन्तरिक्ष विभाग

दि: 10.08.2012

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति ने दि: 21.02.2012 को हुई अपनी तीसरी बैठक में अन्तरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों पर अन्तरिक्ष विभाग में विचार किया गया और अन्तरिक्ष भवन सहित अं.वि./इसरो के केन्द्रों/यूनिटों में अनुपालनार्थ निम्नलिखित निर्णय सूचित किये जाते हैं :

The Undersigned is directed to state that the Joint Hindi Salahakar Samiti for DOS and DAE had made certain recommendations in its Third Meeting held on 21.02.2012 with regard to propagation of Hindi in DOS and DAE. These recommendations have been examined in the Department and following decisions are conveyed for implementation in Centres/Units of DOS/ISRO including Antariksh Bhavan:

(i) हिन्दी पखवाड़े के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों, जिनमें पति-पत्नी एवं बच्चे शामिल हैं, को भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाए और उनके लिए अलग से प्रतियोगिताएं आयोजित कर पुरस्कार वितरित किए जाएं । पुरस्कार राशि प्रतियोगिताओं की राशि के समान हो ।

The family members of the Officers/employees consisting of spouse and children of the employees may be allowed to participate in the Hindi Fortnight celebrations by conducting separate competitions and distributing prizes. The prize amount may be same as that given for competitions.

(ii) 'ग' क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके बच्चों में हिन्दी पुस्तकों को पढ़ने हेतु रुची जागृत की जाए । इसके लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और हिन्दी पखवाड़े के उपलक्ष्य में उन्हें पुरस्कृत किया जाए । पुरस्कार राशि प्रतियोगिताओं की राशि के समान हो ।

In order to popularise the use of Hindi in Region 'C', interest for reading Hindi books may be created in the Officers/employees and their children by conducting competitions for the same and they may be rewarded during Hindi fortnight. The prize amount may be same as that given for competitions.

(iii) स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए शैक्षणिक वर्ष में दसवीं तथा बारहवीं कक्षा में हिन्दी विषय में अत्यधिक अंक प्राप्त करने पर तीन छात्रों को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया जाए । सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.ई. तथा राज्य पाठ्यक्रम के छात्रों को पृथक-पृथक रूप में पुरस्कृत किया जाए, जिससे कुल 12 पुरस्कार होंगे । पुरस्कार की राशि क्रमश: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए ₹1500/-, ₹ 1000/- एवं ₹ 500/- होगी ।

Three children of the employees securing highest marks in Hindi in the academic year in X Std and XII Std. shall be awarded during the Hindi day celebrations. The students of CBSE/ICSE and the State courses shall be awarded separately and thus there will be a total of 12 prizes. The prize amount shall be ₹ 1500/-, ₹ 1000/- and ₹ 500/- for first, second and third prizes respectively.

इस कार्यालय आदेश के जारी होने के दिनांक से यह लागू होगा ।
This will be effective from the date of issue of this Office Order.

(ए.विजय आनंद/A.Vijay Anand)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary

सेवा में,

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
 क. वैज्ञानिक सचिव, इसरो, इसरो मुख्यालय, बेंगलूर
 ख. मुख्य नियंत्रक, वीएसएससी
 ग. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड
 घ. नियंत्रक, सैक/ एसडीएससी-शार /एनआरएससी/आईजैक/एलपीएससी
 ङ. नियंत्रक-सह-रजिस्ट्रार, पीआरएल
 च. निदेशक,एससीएल/एनई-सैक/एनएआरएल/आईआईएसयू/आईआईएसटी/प्रकाशन व जनसंपर्क यूनिट, इसरो मु.
 छ. रजिस्ट्रार, अड्रिन, सिकन्दराबाद
 ज. विशेष कार्य अधिकारी, अ.वि., बेंगलूर/अ.वि.,शाखा सचिवालय, नई दिल्ली
 झ. प्रधान, का.एवं सा.प्रशा., इस्ट्रैक, बेंगलूर/एमसीएफ, हासन

2. आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

विशेष कार्य अधिकारी, इसरो मु., बेंगलूर
प्रधान, का.एवं सा.प्रशा., एससीएल
आन्तरिक वित्त सलाहाकार, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, आईजैक/सैक/एमसीएफ/शाखा सचिवालय
हिन्दी अधिकारी-II, पीआरएल
प्रशासन अधिकारी, अड्रिन/एनएआरएल/एनई-सैक/एलपीएससी,बेंगलूर/एलपीएससी,महेन्द्रगिरी
हिन्दी अधिकारी,एलपीएससी/एनआरएससी/वीएसएससी/एसडीएससी/आईआईएसयू/इस्ट्रैक/आईआईएसटी

प्रतिलिपि सूचनार्थ :
संयुक्त सचिव तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर